

प्रेसनोट दिनांक 28.01.2021

1. दिनांक 27.01.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील कुमार पुत्र रमाशंकर नि0 सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 41/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 27.01.21 को वादी उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 सीबू पुत्र मो0 रफीक नि0 2/8/53 बालक राम कालोनी थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 39/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 27.01.21 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्येन्द्र कुमार पुत्र कमलेश कुमार नि0 खम्हरिया थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 40/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 27.01.21 को वादी श्री बब्बन प्रसाद दूबे पुत्र राम अजोर दूबे नि0 सोनौरा लखौना थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द दूबे पता अज्ञात आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 26/21 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 27.01.21 को वादी श्री आदित्य राज सिंह पुत्र अशोक राज सिंह नि0 जुमरी निवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या डीएन 09 एन 0998 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 14/21 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।